"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जून 2014—— ज्येष्ठ 29, शक 1936

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/सक/26. — राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012" में निम्नानुसार संशोधन करती है.

1. नियम 2 में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) के पश्चात् "एवं नि:शक्तजनों" अन्त:स्थापित किया जाये.

2. नियम में खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :-
(त) नि:शक्तजन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा 2 (न) के अनुसार नि:शक्त हो.

3. नियम 4(4) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-
(5) श्रवण बाधित, मूक-बधिर, दृष्टि बाधित एवं अस्थिबाधित नि:शक्तजन तीर्थयात्रा पर जाने हेतु पात्र होंगे.
(6) तीर्थयात्रा पर जाने वाले नि:शक्तजन की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी.
(7) योजनांतर्गत ऐसे सभी नि:शक्त व्यक्ति पात्र होंगे जो आयकर दाता न हो.

4. नियम 7(1) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-
(क) वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्राओं एवं नि:शक्तजनों के लिए विशेष तीर्थयात्राओं का आयोजन करेगी एवं इनके लिए आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार करेगी.

5. नियम 9(1) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-
(क) वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्राओं एवं नि:शक्तजनों के लिए विशेष तीर्थयात्राओं का आयोजन करेगी एवं इनके लिए आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार करेगी.

6. नियम 10 में शब्द "परिशिष्ट" के स्थान पर शब्द "परिशिष्ट एक एवं दो" प्रतिस्थापित किया जावे.

7. नियम 11 (9) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-
9(क) यदि नि:शक्त आवेदक पति/पत्नि में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा. आवेदन करते समय ही आवेदक को जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा. पांच या उससे अधिक नि:शक्तजन समूह के रूप में भी आवेदन कर सकेंगे. संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा. प्रत्येक नि:शक्त तीर्थयात्री के साथ एक सहायक का तीर्थयात्रा पर जाना अनिवार्य होगा. सहायक, नि:शक्त व्यक्ति का निकटतम अथवा उसके पंसद का होना चाहिए. नियम 11(7) (8) (9) के प्रावधान नि:शक्तजनों के संदर्भ में लागू नहीं होंगे.

8. नियम 12 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-
इस योजना के 80 प्रतिशत हितग्राही बी. पी. एल. अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक तथा नि:शक्तजन होंगे, जो आयकर दाता न हो.

9. इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ1-14/2012/सक/26, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.